पत्रांक : 11/वि 1–50/2013 .....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। 556

प्रेषक:

अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक ....20....मई, 2014

विषय : अधिसूचित नियुक्ति नियामवली 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आलोक में जिलावार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1752, दिनांक 07.12.13 एवं 114, दिनांक 24.01.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रथम से चतुर्थ समव्यवहार के उपरान्त अवशेष रिक्ति के विरूद्ध अंतिम समव्यवहार (कैम्प) अंतर्गत नियोजन का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

क्र.	जिलों का नाम	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि		जिला परिषद अन्तर्गत नियोजन की तिथि	
		उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक
1.	पटना, किशनगंज, बाँका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण एवं रोहतास	26.05.14	30.05.14	28.05.14	02.06.14
2.	नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा एवं वैशाली	04.06.14	09.06.14	06.06.14	11.06.14
3.	गया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण एवं नवादा	14.06.14	18.06.14	16.06.14	20.06.14
4.	पूर्णियाँ, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय एवं जमुई	23.06.14	27.06.14	25.06.14	30.06.14

D/Ajit Sir/Raj/Letter381

नियोजन इकाईओं द्वारा निर्धारित तिथि एवं कैम्प के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया को सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते है :–

1. नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत का कैम्प जिलास्तर पर आहूत किया जायेगा।
2. प्रथम से चतुर्थ समव्यवहार (कैम्प) के उपरान्त पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा वर्त्तमान अंतिम समव्यवहार में मेधा सूची अंतर्गत कोटिवार न्यून मेधा क्रम के अवशेष सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि/कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
3. नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का जिला स्तर पर आहूत होने वाले कैम्प में सम्मिलित होने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक निदेश दिया जायेगा। तिथि/कैम्प में जिला परिषद/नगर निकाय के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि निर्धारित तिथि/कैम्प मे उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि/कैम्प में उपस्थित नहीं होंगे तो अधिसूचित नियुक्ति नियामवली, 2006 के नियम 14 के उप नियम (ग) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध संगत अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
4. उपर्युक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयोजित होने वाले तिथि/कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा। नियोजन इकाईवार मेधा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना तथा कैम्प स्थल की सूचना जिले के NIC के बेवसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
5. रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो।
6. नियोजन हेतु कैम्प में अभ्यर्थी STET उत्तीर्णता एवं शैक्षिक/प्रशैक्षिक से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी का नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व उनका STET का मूल प्रमाण–पत्र जमा कर लिया जाएगा ताकि दूसरे अभ्यर्थी को नियोजन का मौका मिल सके।
7. नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कैम्प का आयोजन के लिए पर्याप्त परिसर युक्त विद्यालय/भवन का चयन किया जायेगा। नियोजन की प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि संबंधित नियोजन इकाई में विषयवार Counter की व्यवस्था की जाय।
8. अभ्यर्थियों को सम्यक् सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु कैम्प स्थल पर केन्द्रीयकृत सूचना/पूछताछ केन्द्र (Enquiry Counter) का गठन किया जाना आवश्यक है।
9. नियोजन पत्र का वितरण कैम्प दिवस पर ही कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में कैम्प तिथि से 03 (तीन) दिनों के अन्तर्गत नियोजन पत्र निर्गत करा दिया जाए, अन्यथा नियोजन पत्र निर्गत माना जायेगा। साथ ही संबंधित नियोजन इकाई के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जाए।
10. नियोजन पत्र का सम्प्रेषण हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक के द्वारा किया जायेगा।

11. कैम्प स्थल पर विडियोग्राफी (समय एवं तिथि के साथ) की व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी।

12. निर्धारित तिथि को नियोजन से संबंधित पंजियों का जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकरी के द्वारा हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर कर बन्द किया जायेगा।

13. कैम्प स्थल पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक द्वारा क्रमशः दण्डाधिकारी एवं आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अपने स्तर से पहल की जाय।

इसे आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरमजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/वि 1–50/2013 ....556.... पटना, दिनांक ....20.... मई, 2014

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

D/Ajit Sir/Raj/Letter383